Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भीलवाड़ा में नगर पालिका मांड़लगढ़ के चैयरमैन 4 लाख 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *21 जून।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर भीलवाड़ा द्वितीय इकाई द्वारा आज सोमवार को भीलवाड़ा में कार्यवाही करते हुये संजय ड़ागी, चैयरमैन नगर पालिका, मांड़लगढ़, जिला भीलवाड़ा को परिवादी से 4 लाख 20 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की भीलवाड़ा द्वितीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि नगर पालिका क्षेत्र मांड़लगढ़ में करवाये गये विभिन्न कार्यों के बिलों के भुगतान तथा एस.डी.राशि जारी करने की एवज में संजय ड़ागी, चैयरमैन नगर पालिका, मांड़लगढ़, भीलवाड़ा द्वारा कुल बकाया राशि के 23 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 4 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी भीलवाड़ा द्वितीय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ब्रजराज सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री शिवप्रकाश एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये संजय ड़ांगी पुत्र श्री मूलचंद ड़ांगी निवासी पुरानी आबादी, मांड़लगढ़, जिला भीलवाड़ा हाल चैयरमैन नगर पालिका, मांड़लगढ़, भीलवाड़ा को परिवादी से **4 लाख 20 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा 30 हजार रुपये परिवादी से प्राप्त कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।